

MOST IMMEDIATE 302

By Speed Post



Government of India

No. 9/5/2014-NE-II/Vol.I
Government of India / भारत सरकार
Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
NE Division / पूर्वोत्तर प्रभाग

North Block, New Delhi – 110001

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110001

Dated 16th May, 2014

To

Shri Krishna Gopal,
Lecturer,
Government Polytechnic College,
Ajmer, Rajasthan- 305002.

Sub: - **Information sought under RTI Act, 2005-reg.**


Sir,

Please refer to this Ministry's letter no. II/20034/20/2014-IS-II(pt.) dated 12th May, 2014 and O.M. No.11012/13/2014-NE-IV dated 15th May, 2014 forwarding your RTI Application dated 5th March,2014 regarding Information relating to Inner Line Permit(ILP) in North-Eastern States.


2. As per Bengal Eastern Frontier Regulations (BEFR) Act, 1873 the Indian citizen needs Inner Line Permit (ILP) to visit the States of **Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland**. A copy of BEFR, Act 1873 is enclosed. ILP is issued by the concerned State Governments.

3. If you are not satisfied with the reply, you can make an Appeal as per provisions of the RTI Act, 2005 to Shri Shambhu Singh, Joint Secretary (NE), Room no. 109-C, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi-110001, within one month from the date of receipt of this communication.

Encl.: As above.



Yours faithfully


(J.P.N Singh)
Director (NE) & CPIO
Telefax: 23092485

- Copy to:-
1. Shri.Rakesh Mittal, Director (IS-I), MHA, New Delhi- W.r.t. their letter No.II/20034/20/2014-IS-II (pt.) dated 12th May, 2014.
 2. Under Secretary (NE.IV), MHA, New Delhi- W.r.t. their O.M. No. 11012/13/2014-NE-IV dated 15th May, 2014
 3. RTI Section, MHA, New Delhi- W.r.t. their O.M. No. A- 43020/01/2014- RTI dated 1st May, 2014 & 7th May, 2014.

के-डीए लेवु इत्यादि अधिकारी (CPIO)
 राष्ट्रपति कार्यालय (President's Secretariat)
 भारत का गणराज्य (Republic of India)
 नई दिल्ली (NEW DELHI)

राष्ट्रपति कार्यालय (President's Secretariat)
 (के-डीए) अनुभाग (PIO Section)
 कार्य संख्या: 2499/RTI/11-24
 दिनांक: 11-3-14
 हस्ताक्षर: [Signature]

विषय - पड़ोसी राष्ट्र "चीन" द्वारा भारतीय भूभाग को "अतिक्रमण" (ENCROACHMENT OF INDIAN TERRITORY) से सम्बन्धित सूचना के बारे में।

संदर्भ - सूचना का अधिनियम 2005 तथा "भारत पर चीन" की प्रकाशित सूचनाएं, मुख्य रूप से 2010/03/2014 (प्रति संलग्न)।

अध्यक्ष, विधायक सूचना निम्नप्रकार उपलब्ध कराने की

- 1) 1962 के भारत-चीन युद्ध में भारत भारतीय भूमि को हारने के कारण, चीन द्वारा भारतीय भूभाग पर किए गए अतिक्रमण वाले क्षेत्र का आकार (जिनमें किलोमीटर की इकाई में)।
- 2) 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान भारतीय भूमि को हारने के कारण भारत सरकार द्वारा किए गए अतिक्रमण वाले क्षेत्रों के आकार (जिनमें किलोमीटर की इकाई में)।
- 3) 1962 के भारत-चीन युद्ध के कारण भारत सरकार द्वारा किए गए अतिक्रमण वाले क्षेत्रों के आकार (जिनमें किलोमीटर की इकाई में)।
- 4) 1962 के युद्ध के कारण, चीन द्वारा भारतीय भूभाग पर किए गए अतिक्रमण वाले क्षेत्रों के आकार (जिनमें किलोमीटर की इकाई में)।
- 5) भारतीय भूभाग से पुनर्प्राप्त की गई "चीन-पश्चिम" राज्य परिषद के मामले में भारत सरकार द्वारा किए गए अतिक्रमण वाले क्षेत्रों के आकार (जिनमें किलोमीटर की इकाई में)।
- 6) भारत सरकार के पुनर्प्राप्त की गई "चीन-पश्चिम" राज्य परिषद के मामले में भारत सरकार द्वारा किए गए अतिक्रमण वाले क्षेत्रों के आकार (जिनमें किलोमीटर की इकाई में)।

द्वारा सार्वजनिक आयोजना (आरक्षण) के निम्न प्रकार की शर्तें

22
291

7) भारत की एक हीमा विभाग (BOARDER DISPUTES
BEST WELFARE INDIA BND (MIND)) के स्ट्रक्चर एंड
गर्भित कार्यालय (CBM - Confidence Building Measures)
की कुछ विशेष शर्तें वर्ष 2012, 2013 एवं भारत
2014 तक निर्धारित कोर्गिस विभाग प्रमुखता प्रमाण
(CBM) के तहत वह गर्भित कार्यालय द्वारा जारी किए
दस्तावेज के निम्न प्रकार की शर्तें (निम्न)
प्रमाणित करें।

8) भारतीय राज्यों (जम्मू कश्मीर) तथा अरुणाचल प्रदेश) के राज्यों को भी भारत भारत) का समर्थन देने के लिए इनके साथ कोर्गिस एंड एंड इनके अंतर्गत अथवा स्ट्रेपल वीला जारी करें

की शर्तें वह आरक्षण शर्तें द्वारा (निम्न)
में प्राप्त दिनांक तक जारी किया जा रहा है (INDIA 50000000)

(कोई भी शर्तें अथवा शर्तें मिली शर्तें अंतर्गत
के द्वारा जारी की जा रही (निम्न) की प्रमाणित करें।

9) भारत के विभाग कोर्गिस द्वारा जारी शर्तें (निम्न)
परिष्कार "PERSPECTIVE" को भी विभाग द्वारा जारी किया है

10) "इनर लाइन परमिट" (INNER LINE PERMIT) शर्तें
आरक्षण कोर्गिस को भारत के मुख्य शर्तें के
शर्तें (अनुसूचित जाति) को शर्तें के लिए अंतर्गत है
के लिए अंतर्गत करने का इन (आरक्षण परमिट
की शर्तें को शर्तें को शर्तें करने वाले
निम्न शर्तें की प्रमाणित करें।

संलग्न -
1. P.O. No
224 - 546671

2) सार्वजनिक शर्तें
दिनांक 02/03/2014
पृष्ठ सं 1, 2 एवं 3

आवेदनकर्ता
02/03/2014
(कुंठा गोपाल) प्रमुख
राजकीय शर्तें शर्तें अंतर्गत शर्तें
असम - 305002 (अरुणाचल)
KRISHNA GOPAL, LECTURER,
GOVERNMENT POLYTECHNIC
COLLEGE, ARNER 305002, ARUNACHAL